3-BKGOLBMB/6/2025-BKG-UPCB

1/256835/2025

☎ पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

2025
International Year
of Cooperatives

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
(उ0प्र0 सरकार अंशधारी शिडयूल्ड बैंक)
मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग,

पत्रांक : बैंकिंग / 2025–26 / एफ–230 / 421
दिनांक : 30 अगस्त 2025

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उ0प्र0।

विषयः बैंक मुख्यालय के पत्रांक–बैंकिंग / व्यव.विविधी. / परिपत्र / 2020–21 / 81, दिनांक–20.08.2020 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–14.08.2020 मे पारित प्रस्ताव सं0–25 के कम में मुख्यालय द्वारा पत्रांक–बैंकिंग / व्यव.विविधी. / परिपत्र / 2020–21 / 81. दिनांक–26.08.2020 के माध्यम से शाखाओं के स्तर से व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत वितरित किये गये ऋणों के एनपीए हो जाने / अन्य स्थिति में वसूली न हो पाने के कारण स्वीकृतकर्ता / अप्रेजलकर्ता अधिकारियों तथा पत्रावली प्रस्तुत करने वाले कार्मिक को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयों के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गयेः–

1. बैंक द्वारा समय–समय पर व्यवसाय विविधीकरण योजनाओं से सम्बन्धित निर्गत किये गये परिपत्रों के अनुसार यदि शाखाओं के स्तर पर ऋण से सम्बन्धित सभी डाक्यूमेन्टस / औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए ऋण स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृत ऋणों की वसूली नियमित रही है तथा वसूली मे अवरोध उत्पन्न होने पर मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित किए जाने की दशा में मुख्य प्रबन्धक / ऋण स्वीकृतकर्ता अधिकारी / अप्रेजलकर्ता अधिकारी / पटल कार्मिक ऋण के बकाया / एनपीए हो जाने / वसूली न होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगे।

2. बैंक द्वारा समय–समय पर व्यवसाय विविधीकरण योजनाओं से सम्बन्धित निर्गत किये गये परिपत्रो के अनुसार यदि शाखाओं के स्तर पर ऋण स्वीकृत करते समय ऋण से सम्बन्धित सभी डाक्यूमेन्टेशन / औपचारिकतायें पूर्ण कराई गई हैं तथा स्वीकृत ऋणों की वसूली नियमित रही है ऐसी दशा में स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात यदि ऋण की वसूली में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है अथवा ऋण एनपीए की श्रेणी में आता है तो ऐसी स्थिति मे ऋण स्वीकृतकर्ता / अप्रेजलकर्ता / पटल कार्मिक उक्त के लिए उत्तरदायीं नहीं होगें, ऐसी दशा में ऋण स्वीकृतकर्ता शाखा प्रभारी / मुख्य प्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक के स्थानान्तरण / सेवानिवृत्त होने पर उनके प्रतिस्थानी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों में दिए गए निर्देशों तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करते हुए बकाया / एनपीए ऋणों की वसूली करायें यदि प्रतिस्थानी शाखा प्रभारी / मुख्य प्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार बकाया / एनपीए ऋणों वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की जाती है एवं ऋण की वसूली नहीं होती है तो ऐसी दशा मे सम्बन्धित शाखा प्रभारी / मुख्य प्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक ऋण बकाया / एनपीए के लिए उत्तरदायीं होगें।

3. यदि शाखा स्तर पर अप्रेजलकर्ता अधिकारी द्वारा ऋण का किए गए अप्रेजल में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तथा ऋण कमेटी द्वारा अप्रेजलकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ऋण स्वीकृत

किया है तब ऐसी दशा में अप्रेजलकर्ता अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि अप्रेजलकर्ता अधिकारी द्वारा ऋण अप्रेजल करते समय अप्रेजल में किसी कमी/प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख किया जाता है तब यदि ऋण कमेटी द्वारा/स्वीकृत अधिकारी द्वारा अप्रेजल में उल्लिखित कमी/प्रतिकूल तथ्य को नजरअन्दाज करके ऋण स्वीकृत किया जाता है तब यदि ऋण एनपीए की श्रेणी में आता है अथवा ऋण की वसूली नही होती है तो ऐसी दशा में अप्रेजलकर्ता अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।

उक्त निर्गत निर्देशों में बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–30.07.2025 में पारित प्रस्ताव सं0–25 के क्रम में स्पष्टता एवं अन्य निर्देश हेतु निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

1. शाखा स्तर पर व्यवसाय विविधीकरण/एमएसएमई/अन्य योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों को, शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी ऋण स्वीकृत करते समय योजना सम्बन्धी ऋण परिपत्र, सिबिल स्कोर रिपोर्ट सम्बन्धी परिपत्र, इण्टरनल रिस्क रेटिंग सम्बन्धी परिपत्र, गारण्टर द्वारा रू0 50.00 लाख तक की ऋण गारण्टी से सम्बन्धित परिपत्र, रू0 10.00 लाख या उससे अधिक तक के ऋणों के समस्त प्रपत्रों की लीगल वेटिंग कराये जाने सम्बन्धी परिपत्र या समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
2. शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी का दायित्व होगा कि वह अप्रेजलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी अप्रेजल रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए अप्रेजल रिपोर्ट से बैंक द्वारा निर्गत उक्त परिपत्रों के आलोक में स्वयं संतुष्ट होते हुए ऋण स्वीकृत/अवमुक्त करने पर विचार करेगी।
3. शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी एवं ऋण अप्रेजलकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करेगे कि ऋण आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा गया है तथा ऋण के सम्बन्ध मे मुख्यालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का किसी भी प्रकार से कोई विचलन नहीं किया गया है, नियमानुसार सभी प्रपत्र (एफिडेविट, गारण्टर एग्रीमेण्ट, साम्य बन्धक, डिमाण्ड प्रनोट, ऋण एग्रीमेण्ट, हाइपोथिकेशन, केवाईसी डॉक्यूमेण्ट एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र) ऋणी से भरा लिये गये हैं तथा ऋण स्वीकृत पत्र ऋणी को निर्गत कर उपलब्ध करा दिया गया है।
4. अप्रेजलकर्ता अधिकारी/कार्मिक द्वारा व्यवसाय विविधीकरण/एमएसएमई/अन्य योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों का अप्रेजल करते समय योजना सम्बन्धी ऋण परिपत्र, सिबिल स्कोर रिपोर्ट सम्बन्धी परिपत्र, इण्टरनल रिस्क रेटिंग सम्बन्धी परिपत्र, गारण्टर द्वारा रू0 50.00 लाख तक की गारण्टी से सम्बन्धित परिपत्र, रू0 10.00 लाख या उससे अधिक के ऋणों के समस्त प्रपत्रों की लीगल वेटिंग कराये जाने आदि से सम्बन्धित परिपत्रों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए ऋण का अप्रेजल किया जायेगा, यदि ऋण अप्रेजल में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी दृष्टिगोचर होती है तो अप्रेजलकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा।
5. अप्रेजलकर्ता अधिकारी/कार्मिक को अप्रेजल करते समय सिबिल स्कोर में दर्शित समस्त कटौतियों को ऋण अप्रेजल में सम्मिलित किया जायेगा एवं ऋणी की प्रतिदान क्षमता का आंकलन करना होगा तथा सिबिल स्कोर में दर्शित राईटऑफ, सूट फाईल्ड, एडजस्टेड थ्रू सेटेलमेण्ट आदि का उल्लेख करते हुए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं पर स्पष्ट टिप्पणी ऋण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
6. ऋण स्वीकृत करने से पूर्व मॉडगेज ऋणों में सरसई पोर्टल से साम्य बन्धक रखी जाने वाली सम्पत्ति की सर्च रिपोर्ट शाखा प्रबन्धक डाउनलोड कर पत्रावली में रखी जायेगी एवं सर्च रिपोर्ट

में यदि सम्पत्ति पूर्व से अन्य किसी वित्तीय संस्था में बन्धक है तो उस पर ऋण नहीं किया जायेगा।

7. यदि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऋण का अप्रेजल किया जाता है तो अप्रेजलकर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।
8. ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् सरसई पोर्टल पर मॉडगेज की गयी सम्पत्ति पर तत्काल चार्ज क्रियेट करना शाखा प्रबन्धक द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय तथा सीबीएस पर भी ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी एव अन्य सभी कॉलम शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी एव शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक पूर्ण रूप से भरना सुनिश्चित करेंगे।
9. यदि शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी द्वारा अप्रेजलकर्ता अधिकारी/कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अप्रेजल रिपोर्ट, मुख्यालय द्वारा निर्गत उपरोक्त वर्णित परिपत्रों तथा समय–समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का उल्लंघन करते हुए ऋण स्वीकृत किया जाता है तो ऋण कमेटी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

अतः समस्त शाखा प्रबन्धकों/मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि शाखा स्तर पर ऋण वितरण के समय उपरोक्त अंकित बिन्दुओं एवं बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Digitally signed by
RAJESH KUMAR KUSHWAHA
Date: 30-08-2025 13:06:01

(राजेश कुमार कुशवाहा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोजैक्ट मैनेजर, मेगासॉफ्ट प्रा0 लि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। — P/B-297
3. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। P/B-300
4. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 मुख्यालय, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ। — 301

प्रबन्ध निदेशक